न्यायालय–जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी।
उपस्थित–शिव कुमार सिंह, एच0जे0एस0
प्रकीर्ण दीवानी सं0 53/2026
कम्प्यूटर पंजीकरण सं0 79/2026
CNR UPLP 0100 2869 2026

कृषक समाज हायर सेकेण्ड्री स्कूल गोला, परगना हैदराबाद, तह0 गोला गोकर्णनाथ जिला लखीमपुर खीरी द्वारा प्रबन्धक/मंत्री रवि प्रकाश वर्मा उम्र लगभग 66 वर्ष पुत्र स्व0 बालगोविन्द वर्मा नि0मो0 नीचीभूड़ कस्बा गोला, परगना हैदराबाद तहसील गोला गोकर्णनाथ जिला लखीमपुर खीरी।

–––प्रार्थी।

बनाम

श्री अनन्त प्रकाश सरोज उम्र लगभग 51 वर्ष पुत्र कढेराम नि0 बीरेन्द्र नगर कालोनी कस्बा गोला परगना हैदराबाद, तह0 गोला गोकर्णनाथ जिला खीरी–प्रधानाचार्य कृषक समाज इण्टर कालेज गोला गोकर्णनाथ, परगना हैदराबाद, तह0 गोला गोकर्णनाथ जिला लखीमपुर खीरी

––––विपक्षी।

निर्णय

1– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अं0धारा 5(ए) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 प्रार्थी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि कृषक समाज हायर सेकेण्ड्री स्कूल गोला, परगना हैदराबाद तह0 गोला गोकर्णनाथ, जिला लखीमपुर खीरी मे है, सोसाइटी रजि0 अधि0 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत समिति द्वारा संचालित है। प्रार्थी रवि प्रकाश वर्मा प्रबन्धक/मंत्री है जिसे प्रस्तुत प्रार्थनापत्र (प्रकीर्ण वाद) संस्थित करने के लिए प्रबंध समिति की बैठक दिनांक 09.03.2026 द्वारा अधिकृत किया गया है। कृषक समाज इण्टर कालेज गोला, परगना हैदराबाद तह0 गोला गोकर्णनाथ जिला लखीमपुर खीरी की कमशः दो शाखाएं चलती है प्रथम गरीब बच्चों के लिए कक्षा–1 से 5 तक की पढ़ाई निःशुल्क करवायी जाती है तथा उक्त कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को भोजन, ड्रेस आदि की व्यवस्था प्रबन्ध समिति निःशुल्क उपलब्ध कराती है दूसरी शाखा में कक्षा–6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई करायी जाती है। उक्त दोनो शाखाओं के प्रधानाचार्य एवं प्रबंध समिति एक ही है। कृषक समाज हायर सेकेण्ड्री स्कूल गोला, परगना हैदराबाद, तह० गोला गोकर्णनाथ जिला लखीमपुर खीरी के नाम भूमि गाटा सं0–1900/0.5590 है० में 1/2 अंश रकबा 0.2795 हे०, गाटा सं०

2167क का रकबा 0.1820 हे0, गाटा सं० 2216/0.0280 हे०, गाटा सं० 2217/0.0730 हे०, गाटा सं० 2218क/0.1200 हे० व गाटा सं० 2168/2.9670 हे० स्थित ग्राम गोला बाहर परगना हैदराबाद तहसील गोला जिला खीरी है जो कि विद्यालय के कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत आती है, जिसमें विद्यालय द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। उपरोक्त वर्णित भूमि विद्यालय के नाम भू–अभिलेखों में दर्ज संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार के रूप में अंकित है तथा उस पर काबिज व दखील है। उपरोक्त कृषक समाज हायर सेकेण्ड्री स्कूल/कृषक समाज इण्टर कालेज, गोला, परगना हैदराबाद, तह०गोला गोकर्णनाथ जिला लखीमपुर खीरी को भविष्य में महाविद्यालय शिक्षण संस्थान बनाने का प्रयास चल रहा है। इसलिए विद्यालय को अधिक कृषि भूमि की आवश्यकता है ताकि अत्यधिक कृषि भूमि मिलने के उपरान्त महाविद्यालय बनाया जा सके। कृषक समाज हायर सेकेण्ड्री स्कूल/कृषक समाज इण्टर कालेज गोला गोकर्णनाथ तह०गोला जिला खीरी की कार्यकारिणी समिति की एक आवश्यक बैठक दिनांक 09.03.2026 को अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसके अनुसार प्रबन्धक/मंत्री को गाटा सं० 1900, 2167क, 2216, 2217, 2218क, 2168 कृषि भूमि स्थित ग्राम गोला बाहर परगना हैदराबाद तह० गोला जिला खीरी को विक्रय हेतु न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके बिक्री करने के उपरान्त 140 बीघा कृषि भूमि स्थित ग्राम जलालपुर तहसील गोला जिला खीरी, में कय करने हेतु अधिकृत किया गया है। विद्यालय के हित एवं विस्तार हेतु प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि भूमि की बिक्री तथा धारा 6 में वर्णित कृषि भूमि कय करने के लिए कार्यकारिणी समिति द्वारा दिनांक कमशः 09.03.2026 व 13.04.2026 वाद दायर करने के लिए प्रबंधक/मंत्री को अधिकृत किया गया है जिसके परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है तथा न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की बिक्री करने की अनुमति प्रदान किया जाना तथा वर्णित धारा–6 कय करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है ताकि विद्यालय का विस्तार हो सके और क्षेत्र के बच्चो को उच्च शिक्षा मिल सके। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की धारा–3 मे वर्णित कृषि भूमि की बिक्री करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाय।

2– विपक्षी द्वारा अनापत्ति 9ग दाखिल की गयी है, और प्रार्थी के प्रार्थना

पत्र के तथ्यो को स्वीकार किया गया है तथा कथन किया गया है कि उत्तरदाता को विद्यालय की भूमि बिक्री करने अथवा खरीदने मे कोई भूमिका नही होती है। उक्त कार्य करने के लिए विद्यालय की प्रबन्ध समिति के निर्णयो के अनुसार कार्यवाही करने के लिए समस्त जिम्मेदारी प्रबन्धक की होती है तथा प्रबन्ध समिति के निर्णय के अनुसार प्रबन्धक विद्यालय की भूमि की बिक्री के लिए न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके विद्यालय की भूमि की बिक्री करने के लिए अधिकृत है, जिसमे उसे कोई आपत्ति नही है। अतः प्रार्थना पत्र की धारा–3 मे वर्णित भूमि को विक्रय करने के लिए अनुमति प्रदान किए जाने की कृपा की जाय।

3– प्रार्थी की ओर से अपने पक्ष के समर्थन मे सूची 5ग1 से सत्य प्रतिलिपि कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांकित 09.03.2026, सोसाइटी के नवीनीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति, साधारण सभा के सदस्यो की सूची, नियमावली, पत्रांक 606/महा0/2026–27 दिनांकित 13.04.2026, नक्शा नजरी, उद्धरण खतौनी दाखिल किए गए है।

4– पक्षो के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

5– प्रार्थी द्वारा पंजीकृत सोसाइटी की सम्पत्ति भूमि गाटा सं0–1900/0.5590 है० में 1/2 अंश रकबा 0.2795 हे०, गाटा सं० 2167क रकबा 0.1820 हे0, गाटा सं० 2216/0.0280 हे०, गाटा सं० 2217/0.0730 हे०, गाटा सं० 2218क/0.1200 हे० व गाटा सं० 2168/2.9670 हे० भूमि स्थित ग्राम गोला बाहर परगना हैदराबाद तहसील गोला जिला खीरी है, जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की धारा–3 मे उल्लिखित है, को विक्रय किए जाने की अनुमति चाही गयी है। यहां पर धारा–5ए(a) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जो इस प्रकार हैः–

सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा–5ए(a) के अनुसार, किसी भी पंजीकृत सोसाइटी की अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण (जैसे बिक्री, गिरवी, या पट्टा) न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना अवैध है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि सोसाइटी की सम्पत्ति का हस्तांतरण मनमाने ढंग से न हो, और इसके उल्लंघन मे किया गया कोई भी हस्तांतरण शून्य माना जायेगा। यह नियम किसी भी कानून या अनुबंध मे इसके विपरीत प्रावधान होने पर भी लागू होता है।

6— उपरोक्त प्राविधान के अनुसार किसी भी सोसइटी की अचल सम्पत्ति बिना न्यायालय की अनुमति के किसी भी प्रकार हस्तांतरित नही की जा सकती है। पत्रावली मे संलग्न कागज सं0 5ग1/6 सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र है जो दिनांक 10.10.2025 से पांच वर्ष के लिए नवीनीकृत किया गया है अर्थात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 22.04.2026 को सोसाइटी नवीनीकृत थी। पत्रावली पर उपलब्ध उद्धरण खतौनी से यह प्रकट होता है कि प्रश्नगत भू–भागो का स्वामी उक्त सोसाइटी है। पत्रावली मे संलग्न प्रस्ताव के अवलोकन से विदित है कि प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्ताव पारित करके प्रश्नगत भू–भागो को विक्रय करने व प्राप्त धन को महाविद्यालय के आवश्यक कार्यो हेतु खर्च किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 4ख2 शपथपत्र रवि प्रकाश वर्मा से समर्थित है, विपक्षी की ओर से भी अनापत्ति प्रस्तुत कर, प्रार्थना पत्र स्वीकार करने मे कोई आपत्ति नही की गयी है।

7— मामले के तथ्य परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी को प्रार्थना पत्र की धारा–3 मे वर्णित सम्पत्ति को विक्रय करने की अनुमति प्रदान किया जाना उचित है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 3ख स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी को सोसाइटी की भूमि गाटा सं0–1900/0.5590 हे० में 1/2 अंश रकबा 0.2795 हे०, गाटा सं० 2167क रकबा 0.1820 हे0, गाटा सं० 2216/0.0280 हे०, गाटा सं० 2217/0.0730 हे०, गाटा सं० 2218क/0.1200 हे० व गाटा सं० 2168/2.9670 हे० स्थित ग्राम गोला बाहर परगना हैदराबाद तहसील गोला जिला खीरी, जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की धारा–3 मे उल्लिखित है, को विक्रय किए जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वह विक्रय से प्राप्त धनराशि को महाविद्यालय के प्रयोग मे ही व्यय किया जायेगा, विक्रय से प्राप्त धनराशि का अन्य किसी मद मे व्यय नही किया जायेगा।

(शिव कुमार सिंह)
जनपद न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी।

दिनांक : 30.05.2026

यह निर्णय आज खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

(शिव कुमार सिंह)
जनपद न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी।

दिनांक : 30.05.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.05.30 16:32:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court